

लि विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में सतत गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकत है:-

(1) बैंकिंग, आरक्षण समान/पर्सनल, माल और खान पान जैसे जन संपर्क क्षेत्र, जहां जनता को तंग/परेशान किया जा सकता है।

(2) जहां जनता के बड़ी मात्रा में धन के दुरुपयोग/वर्बाद या राजस्व की चोरी किए जाने की संभावना हो।

(3) कर्मचारियों की भर्ती और चयन।

इन गतिविधियों में निवारक और दंडात्मक दोनों उपाय शामिल हैं। निवारक उपाय में शामिल हैं-नियमों/प्रक्रियाओं (कदाचार की गुंजाइश को समाप्त करने तथा कम करने के लिये) को सरल बनाना/उसमें आशोधन करना, सूचना एकत्र करना, निगरानी रखने के लिये संदिग्ध व्यक्तियों तथा भ्रष्टाचार बहुल क्षेत्रों का पता लगाना, संवेदनशील पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों का आवधिक स्थानान्तरण, जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की निष्ठा पर संदेह होता है उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले सेवानिवृत्ति करना, कर्मचारियों, पर्यवेक्षण अधिकारियों और जनता को बड़े पैमाने पर शिक्षित करना तथा सतत गतिविधियों में उन्हें शामिल करना और नियमित रूप से तथा बार-बार जांच करना। दंडात्मक उपायों में शामिल हैं-मामले की शीघ्र जांच करना, अनुशासनिक कार्रवाई करना तथा कदाचार और भ्रष्टाचार के दोषसिद्ध मामले में निवारक दंड देना।

केंद्रीय जांच ब्यूरो से नियमित रूप और बार-बार संपर्क बनाए रखा जाता है जो रेलवे के सततता संबंधी मामलों में मदद करते हैं।

भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर हुआ खर्च

432. डा. रमलकर पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने को तैयार करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व उपप्रधान मंत्री के दिल्ली स्थित सरकारी निवास के रख-रखाव और उसके लिये उपकरणों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस सम्बन्ध में, यदि अधिक धन राशि खर्च की गई हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौर) : (क) भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री के सरकारी आवास दिल्ली में रख-रखाव परिवर्धन/परिवर्तन और उपकरणों की खरीद पर, सुरक्षा कार्यों पर हुये व्यय के अलग-अलग कुल 35.82 लाख रुपये खर्च किये गये। इसका 9.45 लाख रुपये रख-रखाव पर 14.17 लाख रुपये परिवर्धन/परिवर्तन पर और 12.20 लाख रुपये फर्नीचर सहित उपकरणों पर खर्च हुआ।

(ख) मंत्रियों को आवंटित आवासों में मरम्मत, नवीकरण और परिवर्धन/परिवर्तन पर व्यय, मामले दर मामले के आवश्यकता के आधार पर होता है। फर्नीचर के संबंध में व्यय की सीमा प्रधान मंत्री व उप प्रधान मंत्री पर लागू नहीं होती।

Findings of the National Water Development Agency

433. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

what are the findings of the National Water Development Agency in respect of linking of Western flow in Kerala rivers to Tamil Nadu rivers;

whether Government propose to link Achan Koll and Famba rivers flowing